भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 76/2016/एस डी आर दिनांक: 30 अप्रैल, 2016

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत
गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों
के अध्यक्ष/महासचिव

विषय: अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय-निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ विदेशी दौरों पर जाने हेतु यात्रा व्यय – तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अन्त:स्थापित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20क के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर न होकर भारत से बाहर है (चाहे अस्थायी रूप से अथवा नही), उनके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उनका निवास स्थान जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है, की निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत कराने के हकदार हैं। भारत में निर्वाचकों के रूप में इस प्रकार से पंजीकृत भारतीय नागरिक (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत 'प्रवासी निर्वाचक' कहा जाएगा) जब संयोगवश मतदान वाले दिन अपने मूल स्थान पर उपस्थित होते हैं तो भारत में उनके संबंधित मूल निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वे ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, में वोट डालने के हकदार होंगें। विधि के उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में विदेशों में रह रही भारतीय नागरिकों की बडी संख्या ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ देश के विभिन्न हिस्सों में निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है।

2. आयोग के ध्यान में लाया गया है कि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साधारण निर्वाचनों तथा कुछ राज्यों में हाल ही में आयोजित किए जा रहे उप निर्वाचनों के वर्तमान चक्र के संबंध में कुछ अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ भारत से विदेशों की यात्रा कर रहे हैं ताकि वे उन देशों में बसे हुए प्रवासी निर्वाचकों से अपने पक्ष में वोट मांग सकें। इस संदर्भ में, आयोग ने स्पष्ट किया है कि हालांकि दलीय नेताओं, अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा बाहर जाकर प्रवासी निर्वाचकों से वोट मांगना विधि के अधीन वर्जित नहीं है, अत: उन अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं या दलीय नेताओं द्वारा उन देशों में उनकी यात्रा, भोजन-आवास इत्यादि पर किया गया सारा व्यय उनके निर्वाचनों के संदर्भ में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत या उपगत किया गया माना जाएगा। अत:, इस प्रकार के सभी व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत ही माने जांएगे और संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उनके निर्वाचन व्यय के लेखों में शामिल किए जाएंगे और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन होंगे।

3. इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवासी निर्वाचकों को 'एयर टिकट' या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देना कि वे उक्त निर्वाचनों में मतदान के प्रयोजनार्थ भारत आएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अंतर्गत 'रिश्वत' संबंधी निर्वाचकीय अपराध होगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के अर्थों में 'रिश्वत' संबंधी भ्रष्ट आचरण भी होगा। यह कहने की जरूरत नही है कि ऊपर उल्लिखित निर्वाचकीय अपराध और रिश्वत संबंधी भ्रष्ट आचरण करना विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करेगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संगठन जो उक्त निर्वाचनों में मतदान के संबंध में प्रवासी निर्वाचकों के भारत आने का यात्रा व्यय वहन करता है अथवा अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से उनका वोट मांगने के लिए ऐसे ही प्रकार के अन्य प्रलोभन देता हैं तो यह भी उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करेगा।

4. अत:, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पार्टी द्वारा खड़े किए गए सभी अभ्यर्थियों को विधि के उपर्युक्त उपबंधों के संबंध में उनके अनुपालन, मार्गदर्शन और सूचनार्थ सूचित करें।

5. आयोग द्वारा विधि सम्बन्धी उपर्युक्त स्पष्टीकरण भविष्य में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचनों में समान रूप से लागू होगा।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

(के.एफ. विलफ्रेड)
प्रधान सचिव

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को प्रतिलिपि। यह अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र की प्रति आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों को दी जाए।